हिंदुस्तान कयर
दी. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार समेकित आय और व्यय संबंधी अनुसूचियाँ

(रु.000 में)

	2022-2023	2021-2022
अनुसूची 22- अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय		
क) संस्थाओं / संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-
ख) संस्थानों / संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी		
कुल	**-**	**-**

	2022-2023	2021-2022
अनुसूची 23- ब्याज		
क) निश्चित ऋण पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करे)	-	-
i) सदस्यता पर	-	-
ii) ऋण पर ब्याज (भारत सरकार)	-	-
iii) पूर्व अवधि का ब्याज	-	-
कुल	**-**	**-**

ह/-
वरिष्ठ लेखाधिकारी

हिंदुस्तान कयर

अनुसूची 24
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन पद्धतियाँ

1.1 वित्तीय वितरणों को अन्यथा न कहा गया है, तो, रूढिगत तरीके से उठाए गए खर्च की लागत के आधार पर और प्रोद्भवन आधार पर तैयार किया जाता है। नकद रूप में प्राप्त आय माने जानेवाले बचत बैंक खातों से मिलने वाला ब्याज इसमें शामिल नहीं है।

1.2 लेखों में आंकडों को हज़ारों में पूर्णांकित करके दर्शाया जाता है ।

2. वस्तुसूची मूल्यांकन

2.1. सामान व स्पेयेर्स (मशीनरी स्पेयेर्स सहित) लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है ।

2.2 फैक्टरी में कच्चे मालों और अर्ध तैयार मालों का मूल्यांकन लागत व निवल वसूली योग्य मूल्य से कम दर में किया जाता है। शोरूमों में तैयार मालों का मूल्यांकन 15% कमीशन और 10% लाभ मार्जिन को कम करके किया जाता है। फैक्टरी में तैयार मालों का मूल्यांकन फैक्टरी मूल्य से परे किया जाता है ।

3. स्थायी परिसंपत्तियाँ

अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर बताया जाता है जिसमें आवक माल ढुलाई, शुल्क और कर और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्च शामिल होते है।

फैक्ट्री भवन और कार्यालय भवन का मूल्य खाते की किताबों में अलग-अलग नहीं दिखाया जाता है। क्योंकि दोनों के लिए मूल्यह्रास की दर समान है।

4. मूल्यह्रास

वर्षानुवर्ष लगातार दर्शानेवाले दरों पर मूल्यह्रासित बही मूल्य प्रणाली आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है ।182 दिनों से कम अवधि में उपयुक्त की जानेवाली स्थायी परिसंपत्तियों पर स्वाभाविक दरों की आधी दरों में मूल्यह्रास दिया जाता है ।

5. बिक्री के लिए लेखांकन

बिक्री बिक्री आय, छूट एवं व्यापार कटौती का कुल है ।

6. सरकारी अनुदान/इमदाद

कयर बोर्ड से प्राप्त बाज़ार विकास सहायता को राजस्व के रूप में माना जाता है ।

ह/-
वरिष्ठ लेखाधिकारी

हिंदुस्तान कयर
अनुसूची 25
प्रासंगिक देयताएँ और लेखों पर टिप्पणियाँ

1. **प्रासंगिक देयताएँ** शून्य

2. **चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम**

प्रबंधन के अनुसार, चालू परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों का सामान्य व्यापार क्रम में वसूली पर एक मूल्य है जो तुलन पत्र में दी गयी कुल राशि के लगभग समान है।

3. **कर निर्धारण**

आयकर अधिनियम,1961 के अधीन कर योग्य आय नहीं होने से आयकर पर विचार करने के लिए कोई प्रावधान ज़रूरी नहीं है ।

(रु. में)

4. **विदेशी मुद्राओं का लेन – देन**	2022-2023	2021-2022
4.1. विदेशी मुद्रा में व्यय		
क) यात्रा		
ख) वित्तीय संस्थानों / बैंकों को विदेशी मुद्रा में अदायगी / ब्याज का भुगतान	शून्य	शून्य
ग) अन्य व्यय :		
- बिक्री पर कमीशन		
- विविध व वृत्तिक खर्च	शून्य	शून्य
- विविध व्यय		
5. **लेखापरीक्षकों के लिए पारिश्रमिक :**		
लेखा परीक्षक		
- कर निर्धारण मामले		
- प्रबंधकीय सेवाएँ	शून्य	शून्य
- प्रमाण के लिए		
अन्य		

6. अनुसूची 1 से 25 संलग्न है और वर्ष के लिए बैलेंस शीट और आय और व्यय खाते का एक अभिन्न अंग है।

7. गत वर्ष के तदनुरूप आकड़ों को आवश्यकतानुसार पुन: वर्गीकृत / पुन: विन्यासित किया गया है।

ह/-
वरिष्ठ लेखाधिकारी

हिंदुस्तान कयर
दि. 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ और भुगतानों की लेखा

प्राप्तियाँ	2022-2023	2021-2022	भुगतान	2022-2023	2021-2022
I आरंभिक शेष			I व्यय		
क) हाथ रोकड़	-	-	क) स्थापना व्यय		
ख) बैंक शेष			(अनुसूची 20 के तदनुरूप)	4,087	6,397
I) चालू खाता	3,078	11,512	(अनुसूची 21 के तदनुरूप)	225	520
ii) निक्षेप खाता	12,095	8,800	II विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों		
iii) बचत खाता			का भुगतान		
II प्राप्त अनुदान			III निवेश एवं निक्षेप		
क) भारत सरकार से			क) चिह्नांकित/धर्मस्व निधियों से		
I) पूँजी उद्देश्य			ख) अपनी निधियों से (निवेश अन्य)	-	-
ii) राजस्व उद्देश्य			IV स्थायी परिसंपत्तियों एवं पूँजी		
ख)राज्य सरकार से			कार्य - प्रगति में - पर व्यय		
ग) अन्य श्रोतों से			क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	10	34
राजस्व उद्देश्य			ख) पूंजीकार्य - प्रगति में - व्यय		
i)कयर बोर्ड से अनुदान					
III निवेशों पर आय			V अधिशेष राशि/ऋण की वापसी		
क) चिह्नांकित/धर्मस्व निधियाँ	-		क) भारत सरकार को		
ख) अपनी निधियाँ (अन्य निवेश			ख) राज्य सरकार को		
IV प्राप्य ब्याज			ग) अन्य - निधि प्रदायकों को		
क) बैंक निक्षेपों पर	353	146	VI वित्तीय प्रभार (ब्याज)		
ख) ऋण, अग्रिम आदि			VII अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
V अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			क) वेतन अग्रिम		
क)विविध आय	19	6	ख) कयर बोर्ड - एमडीए (डी एम डी)		
			ग) कयर बोर्ड -योजना निधि		
			घ) कयर बोर्ड जीपीएफ		
VI उधार में ली गई राशि			ड.) अन्य अग्रिम	-	96
			च) देय व्यय		
			छ) नकद खरीद	1,363	-
VII अन्य कोई प्राप्तियाँ (ब्योरा दें)			ज) बयाना निक्षेप की वापसी	45	-
क) प्राप्य आय - एम डी ए			झ) कंप्यूटर अग्रिम		
ख) फुटकर देनदारों से वसूली			ञ) एलटीसी अग्रिम		
ग)कयर बोर्ड - एमडीए (डी एम डी)					
घ) ई एम डी	10	50	VIII अंत शेष		
ड.) प्राप्य कंप्यूटर अग्रिम			क) हाथ रोकड़		
च) अन्य अग्रिम	-	15	ख) बैंक शेष		
छ) बिक्री - नकद			1,710	563	
			I) चालू खाता	5,834	3,078
ज) स्थिर निक्षेप पर ब्याज	78	1,127	ii) निक्षेप खाता	5,778	12,095
झ) प्राप्तियाँ - टीडीएस, जीएसटी	-	-	iii) बचत खाता		
कुल	**17,342**	**22,219**	**कुल**	**17,342**	**22,219**

ह/-
वरिष्ठ लेखाधिकारी

ह/-
सचिव

ह/-
अध्यक्ष

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कयर बोर्ड, कोच्ची के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने, 31 मार्च 2023 तक के अनुसार कयर बोर्ड, कोच्ची के संलग्न तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे/प्राप्ति और भुगतान लेखे की लेखापरीक्षा कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17(2) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन की है | ये वित्तीय विवरण कयर बोर्ड के दायित्व हैं । हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत प्रकट करना है ।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखाकरण कार्यप्रणालियों में अनुरूपता, लेखाकरण मानक एवं प्रकटीकरण प्रतिमानों आदि से संबंधित लेखाकरण अभिक्रिया पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं| कानून, नियम व विनियम (औचित्य व नियमितता) तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं, आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि, कोई है तो,निरीक्षण रिपोर्टें/सी ए जी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा अलग से रिपोर्ट की जाती हैं |
3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है | इन मानकों के लिए यह अपेक्षित है कि इन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से मुक्त होने के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम अपनी लेखापरीक्षा को योजनाबद्ध होकर निष्पादित करें | लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटीकरण के समर्थन में प्रमाण की नमूना आधार पर जांच शामिल है | लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है | हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय को एक समुचित आधार प्रदान करती है |
4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. हमें सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे ;

ii. इस रिपोर्ट में विचार किए गए तुलन पत्र , आय और व्यय लेखा एवं प्राप्ति और भुगतान लेखा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय अधीन अनुमोदित प्रपत्र में तैयार किए गए हैं |

iii. हमारी राय में कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17(2) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन जैसे अपेक्षित है उचित लेखा बहियों तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का बोर्ड द्वारा अनुरक्षण किया गया है, जहाँ तक ऐसी बहियों की हमारी जाँच से प्रकट होता है ।

iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क.	**समेकित तुलन-पत्र**
1.	**संग्रह/पूंजी निधि और देनदारियां**
1.1	**वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनुसूची 7) - ₹17517.09 लाख**
(i)	प्रावधान- ₹16937.01 लाख बोर्ड ने ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति/पेंशन और संचित अवकाश नकदीकरण के लिए ₹16,937.01 लाख का प्रावधान किया है। हालाँकि, 31 मार्च 2023 तक बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, प्रावधान ₹18,736.38 लाख था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को ₹1,799.37 लाख से कम बताया गया है और उस सीमा तक व्यय पर आय की अधिकता को अधिक बताया गया है।
2.	**संपत्ति**
2.1	**स्थायी परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 8) - ₹951.42 लाख**

(I)	कयर बोर्ड को 2015-16 और 2016-17 में एस्पायर (नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना) के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त हुई ₹300 लाख रुपए की राशि, केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान, कलवूर को स्थानांतरित कर दिया गया और जिसे आगे तीन प्रशिक्षण केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया। एस्पायर योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए मशीनरी की खरीद के लिए क्षेत्रीय विस्तार केंद्र, तंजावुर, प्रादेशिक कार्यालय, भुवनेश्वर और प्रादेशिक कार्यालय, राजमुंदरी में (आजीविका बिजनेस इनक्यूबेटर -एलबीआईएस) स्थानांतरित कर दिया गया । इस संबंध में, प्रादेशिक कार्यालय, भुवनेश्वर में 2022-23 के दौरान केवल ₹58.09 लाख की राशि के लिए व्यय दर्ज किया गया था। केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान, कलवूर को राशि हस्तांतरण के दौरान बोर्ड द्वारा गलत लेखांकन उपचार के कारण शेष ₹241.91 लाख का हिसाब कयर बोर्ड के खातों में नहीं रखा गया था। कयर बोर्ड ने केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान, कलवूर को अग्रिम के रूप में राशि हस्तांतरण को लेखांकन करने के बजाय धन की प्राप्ति के समय पोस्ट की गई मूल लेखांकन प्रविष्टि को उलट दिया। परिणामस्वरूप, शेष इकाइयों के लिए खरीदी गई मशीनरी और केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान, कलवूर के पास शेष निधि का संबंधित वाउचर को अंतिम रूप देने/समायोजित करने में देरी के कारण हिसाब नहीं दिया गया। इससे बोर्ड की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में गंभीर चूक का भी संकेत मिलता है।
2.2	चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11) - ₹12330.02 लाख बैंकों के पास शेष - जमा खाते - ₹4325.63 लाख
(I)	इसमें सीपीडब्ल्यूडी के पास जमा ₹442.44 लाख की शेष राशि शामिल है, जिसे अग्रिम-अन्य के तहत शामिल किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप बैंक शेष को अधिक बताया गया और अग्रिम-अन्य को ₹442.44 लाख कम बताया गया।
(ii)	इसमें बोर्ड के नाम पर खोले गए और बिक्री परेषण के संबंध में लेनदेन के लिए केंद्रीकृत संग्रह खाते के रूप में शोरूम द्वारा संचालित बैंक खाते शामिल नहीं हैं। चूंकि ये खाते सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए बोर्ड के नाम पर थे, इसलिए उनमें दिखाई देने वाली शेष राशि को पार्टियों को देय राशि के साथ बोर्ड के लेखा पुस्तकों में लिया जाना चाहिए था ताकि बोर्ड की संपत्तियों और देनदारियों की पूरी पहचान हो सके। इसके परिणामस्वरूप कयर बोर्ड शोरूम के संबंध में वर्तमान संपत्तियों को ₹193.66 लाख से कम और वर्तमान देनदारियों को कम करके दिखाया गया है। इस टिप्पणी को वर्ष 2020-21 की पृथक ऑडिट रिपोर्ट में भी शामिल किया गया था।
ख.	समेकित आय और व्यय खाता
1.	व्यय
1.1	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (अनुसूची 21) - ₹3591 लाख
(I)	कयर बोर्ड विभिन्न योजनाओं/व्यय/कार्यक्रमों के लिए यूनिट कार्यालयों को धनराशि हस्तांतरित करता है और उसे वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत अन्य अग्रिमों के रूप में दर्ज किया जाता है। जब फील्ड यूनिट कार्यालयों से निपटान वाउचर प्राप्त हुए, तो समायोजन/निपटान वाउचर (एईएस) बोर्ड द्वारा पारित किए गए और उपयोग की गई राशि को निपटान के वर्ष के दौरान व्यय के रूप में दर्ज किया गया। ऑडिट में पाया गया कि, अप्रैल और मई 2023 के दौरान, कयर बोर्ड ने 2022-23 तक की अवधि से संबंधित खर्चों के लिए विभिन्न इकाइयों को दिए गए कुल ₹222.17 लाख के 62 अग्रिमों का निपटान किया। बोर्ड को यह राशि 2022-23 में संबधित खर्चों के लिए वसूल करनी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप अन्य प्रशासनिक खर्चों (अनुसूची 21)को कम करके बताया गया है, साथ ही अन्य अग्रिमों को भी ₹222.17 लाख से अधिक बताया गया है।

ग.	अनुसूची 24: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ
	शून्य
घ.	आकस्मिक देनदारियाँ और खातों पर नोट (अनुसूची 25)
(I)	खातों को जारी किए गए नोट के क्रमांक 5 के अनुसार, "योजना/गतिविधि के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त निधि को योजना/गतिविधि के लिए किए गए व्यय के साथ अनुसूची 3 में चिह्नांकित/धर्मस्व निधि के तहत दिखाया गया था।" यह देखा गया कि बोर्ड को एटीआई योजना के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय से ₹1019.68 लाख प्राप्त हुआ और 2020-21 में डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल कक्षा और सम्मेलन हॉल सहित इकोलैब की स्थापना के लिए ₹1697.81 लाख (बोर्ड की शेयर सहित) केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान, कलवूर और केंद्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर में हस्तांतरण किया गया। इसमें से केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान ने 2020-2022 के दौरान चार किश्तों में ₹1256.58 लाख सीपीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित किए। केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान, कलवूर से प्राप्त राशि समाधान विवरण में शेष राशि का विवरण उपलब्ध नहीं है। समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 3 में एटीआई निधियों की उपरोक्त प्राप्ति और उपयोग का खुलासा नहीं किया गया है। इसलिए, खातों के नोट्स उस सीमा तक अपर्याप्त हैं।
ङ°	अनुदान सहायता
	आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) सहित सहायता अनुदान का प्रारंभिक शेष ₹1838 लाख था। वर्ष के दौरान, आईईबीआर सहित ₹9456 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। अनुदान का उपयोग ₹9528 लाख की सीमा तक हुआ, जिससे ₹1766 लाख शेष रह गया।
च.	प्रबंधन पत्र
	जिन कमियों को स्वतंत्र लेखा परीक्षण रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया, वो बोर्ड को एक विशेष बचाव/सुधार कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से सूचित किए गए हैं।

(v) पिछले अनुच्छेद में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता/प्राप्ति और भुगतान खाता, खातों की किताबों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय और जानकारी के अनुसार, और हमारे पास दी गई व्याख्यानों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखांकन नीतियों और खातों के नोट्स के साथ मिलाकर पढ़े जाने पर, और ऊपर चर्चित महत्वपूर्ण मुद्दों और इस लेखा परीक्षण रिपोर्ट के परिशिष्ट-1 में उल्लिखित अन्य मुद्दों के कारण, ये वित्तीय विवरण भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ एक सच्ची और न्यायिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

(क) जहां तक यह 31 मार्च, 2023 तक कयर बोर्ड के मामलों की स्थिति की बैलेंस शीट से संबंधित है और ,

(ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय पर आय की अधिकता के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

की ओर से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

S. Velliangiri

(एस. वेल्लियांगिरी)

महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

दिनांक: 20.09.2023
स्थान: चेन्नई

परिशिष्ट- I

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**

कयर बोर्ड के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग को निम्नानुसार मजबूत करने की आवश्यकता है:

(i) 2022-23 के दौरान कयर बोर्ड के 50 प्रतिष्ठानों में से केवल 24 प्रतिष्ठानों का आंतरिक ऑडिट किया गया।

(ii) आंतरिक लेखापरीक्षा विंग में विशेषज्ञ कर्मचारियों की कमी है और आईए विंग की वर्तमान कर्मचारियों की संख्या संगठन के आकार के अनुरूप नहीं है।

(iii) ₹2.50 लाख से अधिक की खरीद के लिए सीसीआरआई, कलावूर को दिए गए लंबे समय से लंबित अग्रिमों पर विशेष ऑडिट रिपोर्ट, जहां अनुसंधान और विकास गतिविधियां शुरू की गई हैं, प्रक्रियाधीन है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता आंतरिक नियंत्रण तंत्र को निम्नलिखित कारणों से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है:

I) एडवांस मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध लंबित अग्रिमों का डेटा बोर्ड के वित्तीय विवरणों से मेल नहीं खा रहा था।

ii) सहायक वाउचर की प्राप्ति में देरी के कारण यूनिट कार्यालयों को दिए गए अग्रिमों के निपटान में असामान्य देरी देखी गई।

iii) अग्रिमों को नियमित करने में देरी के कारण, बोर्ड द्वारा बनाई और उपयोग की गई संपत्तियों को समय पर लेखा पुस्तकों में शामिल नहीं किया गया।

3. स्थाई परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन की व्यवस्था

प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर स्थाई परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है।

4. माल सूची की भौतिक सत्यापन की प्रणाली

प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर माल सूची का भौतिक सत्यापन किया गया।

5. अविवादित वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता

बोर्ड निर्विवाद वैधानिक बकाया के भुगतान में नियमित है।

निदेशक (सीए)